

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

दिनांक श्री मोहन

बनाम

विपक्षी श्री काशुला

सं. मुकदमा श. वा.

प्रकरण संख्या 109/2015

कार्यवाही विवरण

13/05/24

पत्रा. पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। साक्ष्यवादी हेतु भवत्तर-पात्र। न्यायद्वैत में अंतिम भवत्तर दिया जाता है। मि. वल्ले साक्ष्यवादी के दिनांक 15/05/2024 को पेश हो।

15/05/2024

पत्रा. पेश हुई। प्रतिवादी आधिपत्या उप.। वकील मय आधिपत्या अनुपास्थित जिन्हे न्यायालय समय पर विधित रूप से बार-बार आवेजे लगवाई गई। उसके उपरान्त भी गैर हाजिर रहने से वकील का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फंसल नुमार देखे नम्बर से काम की जाकर दायित्व दफतर हो।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर